



SITAPUR POLICE



प्रेस नोट-जनपद सीतापुर

अवैध तमंचे के साथ शांति अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक:-29.10.2026

श्रीमान पुलिस अधीक्षक सीतापुर महोदय श्री अंकुर अग्रवाल द्वारा जनपद सीतापुर में लूट/चोरी/नकबजनी/छिनैती व अन्य जघन्य अपराध में संलिप्त/वांछित अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी एवम् विधिक कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं। उक्त दिये गये निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी श्री दुर्गेश कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी श्री वेद प्रकाश श्रीवास्तव के निर्देशन में थाना सिधौली पुलिस द्वारा एक नफर अभियुक्त- छोटू पुत्र स्व हीरालाल निवासी मो0 तुलसीनगर कस्बा व थाना सिधौली जनपद सीतापुर को एक अदद अवैध तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर के साथ दिनांक 29.10.2026 को ग्राम हुसैनगंज नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके संबंध में थाना सिधौली पर मु0अ0सं0 410/2026 धारा 25(1-B) A. ACT पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही हेतु को मा0 न्यायालय भेजा गया।

अभियुक्त का नाम/पता:

1. छोटू उम्र 28 वर्ष पुत्र स्व हीरालाल निवासी मो0 तुलसीनगर कस्बा व थाना सिधौली जनपद सीतापुर

पुलिस टीम थाना सिधौली -

1. उ0नि0 हरिशचन्द्र यादव थाना सिधौली सीतापुर
2. रि0का0 प्रियांशू द्विवेदी थाना सिधौली सीतापुर
3. रि0का0 आदेश यादव थाना सिधौली सीतापुर
4. रि0का0 दीपक सिंह थाना सिधौली सीतापुर
5. रि0का0 हरगोविन्द थाना सिधौली सीतापुर

बरामदगी -

अभियुक्त के कब्जे से एक अदद अवैध तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद किया गया।

आपराधिक इतिहास -

1. मु०अ०सं० 396/2021 धारा 2(b)(i) व 3(1) उ०प्र० गैरेस्टर एक्ट थाना सिधौली जनपद सीतापुर
2. मु०अ०सं०-397/2022 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना सिधौली जनपद सीतापुर
3. मु०अ०सं०-35/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिधौली जनपद सीतापुर
4. मु०अ०सं०- 410/2026 धारा 25(1-B) आर्म्स एक्ट थाना सिधौली जनपद सीतापुर

